उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या-1/15/2675/6-पु-1-15-54/2015.

दिनांकः 02 दिसम्बर, 2015

संख्या-1/2017/1569/6-पु-1-17-54/2015.

लखनऊः दिनांकः 17 अगस्त, 2017

प्रथम संशोधननियमावली, 2017

संख्या-8/2018/592/6-पु-1-18-54/2015.

लखनऊः दिनांकः18 जून , 2018

द्वितीय संशोधननियमावली, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5, सन 1861) की धारा-2 और धारा-46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा-(2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पुलिस के आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015

भाग-1 सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- सामान्य संशोधन-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली , 2015 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में शब्द "आरक्षी" तथा "मुख्य आरक्षी" शीर्षक और पास्र्व शीर्षक सहित, जहाँ कहीं भी आए हो, के स्थान पर क्रमशः शब्द "आरक्षी नागरिक पुलिस" तथा "मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस" रख दियए जायेंगे ।

2- सेवा की प्रास्थिति-उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा एक सेवा है जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

3- परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली मेः-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडें वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन 1994) से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य पुलिस अधीक्षक से है;

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ड) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग से है;

(छ) ''सरकार '' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) ''राज्यपाल '' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) ''विभागाध्यक्ष '' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा से है;

(ट) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किन्हीं पूर्ववर्ती नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उस सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्त गया हो;

(ठ) ''नागरिकों के अन्य पिछडें वर्गो का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिको के पिछडें वर्गो से है;

(ड) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;

(ढ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से गठित चयन समिति से है;

(ण) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(त) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

भाग- दो-संवर्ग

4- सेवा का संवर्ग-

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम-1 के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न होः-

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
आरक्षी	71,239	1,51,029	2,22,268
मुख्य आरक्षी	10,358	42,441	52,799

परन्तु यह कि,-

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनःअवधारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5- भर्ती का स्रोत-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-

(1) पुलिस आरक्षी- पुलिस आरक्षी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस आरक्षी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

(2) मुख्य आरक्षी-

(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे आरक्षी पुलिस भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

6- आरक्षण

अनुसूचितजातियों-अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एंव भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा। परन्तु यह कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नही होंगे।

भाग-चार- अर्हताएं

7- राष्ट्रीयता- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया,यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्रआवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायेगा।

8- शैक्षिक अर्हता-पुलिस आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा की अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना आवश्यक है।

9- अधिमानी अर्हताएं-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

(एक) डीओईएसीसी (क्व्म्।ब्ब्)/छप्म्स्प्ज् सोसायटी से कम्प्यूटर मे 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी '' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्णी- ऊपर अंकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किन्तु दो या उनसे अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में नियम 15 के अधीन अन्तिम सूची में अधिमान प्रदान किया जायेगा ।।

10- आयु-आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि, जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाए उसकी जुलाई के प्रथम दिन पुरूष अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

11- चरित्र-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12- वैवाहिक प्रास्थिति-

ऐसा कोई पुरूष /स्त्री-

(क) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरूष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसकी पति/पत्नी जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/ पुरूष से विवाह किया हो,

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि विवाह हेतु ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिये लागू पर्सनल लॉ के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

13- शारीरिक स्वस्थता-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये।

टिप्पणी:- चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक- नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस(पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग-पांच- भर्ती हेतु प्रक्रिया

14- रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा तत्पश्चात बोर्ड निम्नलिखित रीति रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:-

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो)कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

15- आरक्षियों के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

15- (क)आवेदन पत्र एवं बुलावा-पत्र

(एक) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेगा।

(दो) अभ्यर्थी को केवल एक आवेदन-पत्र भरना होगा। बोर्ड केवल आनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

(तीन) आवेदन-पत्र भरने एवं बुलावा पत्र जारी किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) सरकार परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर उसके लिए कोई कारण समनुदेशित किए बिना रद्द कर सकती है।

(2) लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जायं से, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में बोर्ड द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों

की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरूचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेग और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा।

टिप्पणी:-

1- लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- यदि बोर्ड लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित करने के लिए विनिश्चय करता है तो बोर्ड अपने स्तर पर ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपने विज्ञापन में प्रकाशित करेगा।

(3) दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण:-

(क) उपनियम (2) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कुल रिक्तियों की तसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड, योग्यता के आधार पर इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय अपने स्तर से करेगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक निम्न होंगे:-

(1) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है:-

(एक) ऊँचाई:

(एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गो और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) सीना:

सामान्य/अन्य पिछडी जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और और अन्यून82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए।

टिप्पणी-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(एक) ऊँचाई:

(कक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गों तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टी मीटर होनी चहिए।

(खख) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चहिए।

(दो) वजन:

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

(ख) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शरीरिक मानक परीक्षण संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस

अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ग) इस परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया येगा।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है, तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसे समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट करेगा एवं एसी समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा इक्त नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः संचालित कराया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाये जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रतर अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) शारीरिक दक्षता परीक्षणः-

(क) दस्तावेजों की संवीक्षाएवं शारीरी मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलत होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरूष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किमी0 की दौड़ 2 मिनट में और महिला अभ्यर्थी हेतु 2.4 किमी0 की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी।वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नही करते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षण को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची-

(क) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगतक रखते हुए, तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।

(ख) बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

(ग) विभागाध्यक्ष अनुमोदनोपरान्त अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के अध्यधीन नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए इसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

टिप्पणीः- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है, तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित क्रम में निर्धिरित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः-

(1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा जो अधमानी अर्हता (नयम-9 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी केवल एक ही अधिमानी अर्हता की प्रसुविधा प्राप्त करगा।

(2) तदापि दि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा।

(3) यदि ऊपर उल्लिखितएक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थीकी अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।

(6) चिकित्सा परीक्षण

(क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम चयन सूची में हो, से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से चिक्त्सा परीक्षा संचालित किये जाने के लिए, तीन (3) चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधाकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल, पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित और गोड कृत पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार चिक्त्सा परीक्षा संचालित करेगा।

(ग) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन मण्डलीय चिकित्सा परिषद् के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। चिक्त्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि यह उसकी चिक्तिसा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के पश्चात् किसी दिनांक को दाखिल की जाती है।

(घ) अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से सम्बन्धिक एक विशेषज्ञ होगा।

(ङ) आवेदक द्वारा अपनी चिक्त्सीय परीक्षा के सम्बन्ध में दाखिल अपील पर अभ्यर्थी के लिए अन्तम एवं बाध्यकारी होगा एवं इसके विरूद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।

(च) चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिए विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे।

(छ) चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे और ऐसी रिक्तियाँ अगले चयन के लिए अग्रनीत की जायेगी।

16- चरित्र सत्यापन- नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतयः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

17- मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

(1) म्ख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी पुलिस के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये पात्र कर्मियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जायेगीः-

(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे आरक्षियों में से भरे जायेगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए मुख्य आरक्षी पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे आरक्षी पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओंको पूरा करते हों।

(2) पदोन्नति हेतु चयन समिति:-

(क) बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु चयन समिति गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति मेंउपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेगें।

(ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ड़) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

(च) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग- छः

प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता

18-नियुक्ति

(1) नियम-15 एवं 16 के उपबन्धों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियो के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियो को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि उन्हे पत्र जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये रिपोर्ट करना चाहिए । यदि वह ऐसा नही करता है तो उसका चयन /नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी ।

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ से के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त यऔर उस पद पर कार्रत व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मैलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, एक संयुक्तसम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामो का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन मे अवधारित की जाये या जैसी की उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय:

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति कोइस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

19-प्रशिक्षण

(1) (क) आरक्षी के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पी0टी0सी0 मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की,नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकीसेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) नियम-17 के अधीन पदोन्ति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

20-परिवीक्षा

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी ।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्तिप्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21-स्थायीकरण

(1) नियम 20के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा। यदि,-

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो; और

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहाँउत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22-ज्येष्ठता

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:-

1- दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के भर्ती आरक्षी की ज्येष्ठता निर्धारण

(क) एक चयन के माध्यम से नियुक्त समस्त आरक्षियों की ज्येष्ठता नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(ख) पूर्ववर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे ।

टिप्पणी- पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आने वाले समस्त आरक्षियों के प्रशिक्षण में प्राप्त अंक न उपलब्ध होने पर उनकी पदोन्नति बैचवार निम्न रीति के अनुसार की जाएगी:-

(1) भर्ती के दिनांक के वर्ष को ‘‘वर्ष (बैंच)’’ माना जायेगा।

(2) पूर्ववर्ती ''वर्ष (बैंच)'' में नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती ''वर्ष (बैच)'' में नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।

(3) वर्षवार (बैचवार) तैयार की गयी सूची में अंकित आरक्षियों के नामों के क्रम से किसी प्रकार की ज्येष्ठता अवधारित नहीं की जायेगी।

2- दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के पश्चात भर्ती आरक्षी का ज्येष्ठता निर्धारण

(1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये आरक्षी की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(2) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती आरक्षियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एक चयन के माध्यम से भर्ती आरक्षियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती आरक्षियों एवं कुशल खिलाड़ियों की नियमावली-2011 के अन्तर्गत भर्ती आरक्षियों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती आरक्षियों की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(4) पूर्ववर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।

3- दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता निर्धारण

(1) मुख्य आरक्षी पुलिस की वरिष्ठता उनके मुख्य आरक्षी पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

(2) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(3) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की, मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ठ मुख्य आरक्षी, ज्येष्ठ होगा।

(4) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान है तो हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी।

4- दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के पश्चात प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी का ज्येष्ठता निर्धारण

पदोन्नति के आधार पर नियुक्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये मुख्य आरक्षियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक सवंर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित मुख्य आरक्षी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होंगे। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है:

परन्तु यह कि आरक्षी के पद से मुख्य आरक्षी के पद पर बैचवार पदोन्नति की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी:-

(1) दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी इसके पश्चात् पदोन्नति प्राप्त करने वाले मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होगें।

(2) पूर्ववर्ती ''वर्ष (बैंच)'' में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाये वे पश्चात्वर्ती ''वर्ष (बैच)'' में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाये से ज्येष्ठ होंगे।

(3) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका ''वर्ष (बैच)'' समान है, उनमें से जिस आरक्षी की आरक्षी पद पर नियुक्ति की तिथि पूर्व की होगी वह पश्चात्वर्ती तिथि में आरक्षी पद पर नियुक्त हुये आरक्षी से मुख्य आरक्षी के रूप में ज्येष्ठ होंगे।

(4) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका ''वर्ष (बैच)'' समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(5) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका ''वर्ष (बैच)'' समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो तथा मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के भी समान होने की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता वाह्य प्रशिक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर तथा वाह्य प्रशिक्षण के अंक भी समान होने की दशा में उनके जन्मतिथि को वरीयता देते हुये निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ठ मुख्य आरक्षी ज्येष्ठ होगा।

5- विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व निर्धारित की गयी नीति के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण यथावत् बना रहेगा।

6- उपरोक्त के होते हुए भी अगर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

भाग-सात-

वेतन इत्यादि

23-वेतनमान

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए हैं-

पद का नाम	वेतनमान
आरक्षी	रू 5200-20200 ग्रेड पे-2000
मुख्य आरक्षी	रू 5200-20200 ग्रेड पे-2400

24-परिवीक्षा अवधि में वेतन

(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परीवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ- अन्य उपबन्ध

25- पक्ष समर्थन

सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26-अन्य विषयों का विनियमन

ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या नियमोंविनियमो एवं आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

27-सेवा की शर्तो में शिथिलता

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओ को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

28-व्यावृत्ति

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियो के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।